को राज्यवार अब तक कितने-कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) प्रत्येक बैंक के कितने-कितने आवेदन पत्र स्वीकार किये और इस संबंध में बैंकों का राज्यवार लक्ष्य कितना-कितना था ;

(ग) किन-किन राज्यों ने निर्धारित लक्ष्य का प्राप्त नहीं किया है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या प्रभावी कदम उठाये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुवर्डो फलेरियो) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत, बैंकों की वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से प्रश्न में पूछे गये ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती । अलबत्ता, वर्ष 1983-84, और 1984-85, 1985-86 और 1986-87 और 1987-88 में, शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लक्ष्यों, जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा बैंकों को संस्तुत किये गये आवेदनों की संख्या और बैंकों द्वारा स्वीकृत किये गये आवेदनों की संख्या की राज्यवार स्थिति दर्शाने वाले विवरण अनुबन्धों में दिये गये हैं [देखिए परिशिष्ट 150, अनुबन्ध सं० 17]

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचना दी है कि शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत जो लक्ष्य निर्धारित किए गये थे, उस संबंध में अधिकांश राज्यों का कार्य निष्पादन संतोषजनक है । कुछ राज्यों में लक्ष्य प्राप्ति में कमी के कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) कुछ वर्षों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार वास्तविक लक्ष्यों की घोषणा में विलम्ब ।

(2) जिला उद्योग केन्द्र स्तर पर उचित जांच के अभाव में बैंकों को शाखाओं को अपात्र/अपूर्ण आवेदन स्पांसर कर दिया जाना ।

(3) बैंकों की शाखाओं को आबंटित वास्तविक लक्ष्यों से काफी अधिक आवेदन पत्र भेजना ।

(4) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के समय आवेदनों को इकट्ठा कर भेजना जिसके कारण बैंक शाखाओं को ऋण मंजूर करने के पूर्व आवेदनों की जांच और मूल्यांकन करने का समय न मिल पाना ।

(5) लाभार्थियों का उचित रूप से चयन न किया जाना ।

(6) आवेदक की दक्षता/अभिरुचि/कार्यकलापों के लिये अपेक्षित आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता और क्षेत्र विशेष में उन कार्यकलापों को खपा लेने की क्षमता पर ध्यान दिये बिना कार्यकलापों का चयन ।

(घ) उक्त योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार द्वारा निरन्तर आधार पर समीक्षा की जा रही है ताकि आवश्यक उपचारात्मक उपाय किए जा सकें ।

गुजरात में कपड़ा उद्योग के संबंध में त्रिपक्षीय समिति

440. **श्री मीर्जा इर्शादबेग** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार ने त्रिपक्षीय समिति (कपड़ा) की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को कब प्रस्तुत की थी और इस पर केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की थी ; तथा इस संबंध में की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है ;

(ख) कपड़ा मिलों के बेरोजगार मजदूरों को समाविष्ट करने के संबंध में राज्य में नये उद्योग स्थापित करने के

लिए किन-किन विभागों को आदेश जारी किये गये थे तथा उन विभागों द्वारा इन आदेशों पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या कपड़ा मिल मजदूरों के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाने के लिए संबंधित विभागों को कोई आदेश दिये जायेंगे ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) गुजरात सरकार ने वस्त्र उद्योग पर त्रिपक्षीय समिति की रिपोर्ट संघ सरकार को दिनांक 22-6-1988 को प्रस्तुत की । समुचित कार्रवाई करने के लिए त्रिपक्षीय समिति के सुझावों पर विचार किया गया । कुछ मामलों में उन पर पहले ही कार्रवाई की जा चुकी जबकि कुछ अन्य मामलों में उन्हें स्वीकार्य नहीं पाया गया है । अन्य मंत्रालयों से सम्बन्धित सिफारिशों पर सम्बन्धित मंत्रालयों के साथ मिलकर राज्य सरकार द्वारा कार्यवाई की गयी है । कुछ मामलों में राज्य सरकार को स्वयं ही कार्रवाई करनी है ।

(ख) उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में कुछ शर्तों के अध्यधीन प्रदूषण रहित उद्योगों की स्थापना की अनुमति के लिए स्थान निर्धारित सम्बन्धी प्रतिबंधों में छूट दी है ।

(ग) मिलों के बंद होने के परिणाम-स्वरूप विभिन्न कारणों की वजह से विस्थापित कामगारों के पुनर्नियोजन के लिए कोई निश्चित समय सीमा बताना कठिन है । वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि स्कीम के अन्तर्गत मिलों के बंद होने के परिणाम-स्वरूप 14-4-1989 तक 1213 कामगारों को पहले ही लगभग 1.63 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है ।

गुजरात की कपड़ा मिलों का पुनरुद्धार

441. **श्री मोर्जा इशदिबेग** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात की कपड़ा मिलों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने और रुग्ण एककों का पुनरुद्धार करने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा अलग-अलग कितनी-कितनी और किस प्रकार की सहायता प्रदान की गई है तथा बेरोजगार मिल मजदूरों को कितनी-कितनी सहायता प्रदान की गई और इस संबंध में क्या-क्या कदम उठाये गये हैं और इस प्रयोजन के लिए अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है ;

(ख) इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रतिदिन कितना आर्थिक बोझ उठाया जाता है और राज्य सरकार द्वारा भविष्य में क्या-क्या कदम उठाये जाने का विचार है ; और

(ग) त्रिपक्षीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्यवाही की गई है और उसे किस सीमा तक कार्यान्वित किया गया है और समिति द्वारा इस संबंध में और क्या-क्या कदम उठाये जाने की सम्भावना है तथा कब तक ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) रुग्ण/बंद पड़ी हुई लेकिन संभाव्य रूप से अर्धक्षम वस्त्र मिलों के पुनरुद्धार के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता में शामिल है अर्धक्षम मिलों के लिए पुनर्स्थापना पैकेज, वस्त्र आधुनिकीकरण निधि (सी एम एफ योजना) के अंतर्गत सहायता, वित्तीय रियायतें आदि । 30-11-1988 की स्थिति के अनुसार गुजरात में 31 वस्त्र मिलों की टी एम एफ योजना के अन्तर्गत लगभग 207.71 करोड़ रु० की राशि स्वीकृति की गई है । नोडीय अभिकरण ने गुजरात में अर्धक्षम पायी गयीं 8 वस्त्र मिलों के लिए पुनर्स्थापना पैकेज बनाया है । वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना के अंतर्गत गुजरात में दो मिलों के 1213 कामगारों को लगभग 1.63 करोड़ रु० की राशि अदा की गई । केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता के बारे में जानकारी नहीं है ।

(ख) इसका संबंध राज्य सरकार से है ।